भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4661
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी देशों में भारतीय कामगार

4661. **श्री इटेला राजेंदरः**
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के समक्ष आने वाले खतरे चिंता का विषय बने हुए हैं और ये कामगार जो अपने मेजबान देशों में नागरिकता के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, धन प्रेषण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि वर्ष 2022 में लगभग 111 बिलियन डॉलर था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों और शोषणकारी कार्य स्थितियों को देखते हुए श्रम प्रवास को विनियमित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में आज की तिथि तक क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार विदेश में भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और भारतीय कामगारों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए गए हैं।

सरकार ने विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं जिसके माध्यम से विदेशों में भारतीय कामगार किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर भारतीय मिशनों से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय कामगार विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों और मदद, सीपीग्राम आदि शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर स्थापित किए हैं और मोबाइल ऐप आरंभ किए हैं ताकि भारतीय नागरिक संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की गई है, जहाँ उन्हें भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है तथा उनके स्वदेश वापसी की व्यवस्था की जाती है। संकट में फंसी हुई महिलाएँ किसी भी समय दूतावासों से संपर्क कर सकती हैं, तथा उन्हें भारत वापस भेजे जाने तक आवास एवं अन्य सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) तथा कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी अनेक पहलें की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें कार्य करने और रहने की अच्छी स्थिति मिले, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

(ग) और (घ) उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक और 18 अधिसूचित ईसीआर देशों, जिनमें खाड़ी देश भी शामिल हैं, में से किसी भी देश में विदेशी रोजगार हेतु उत्प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों की भर्ती की प्रक्रिया उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विनियमित होती है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के बिना भर्ती एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के तहत अनिवार्य वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विदेशी रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती का व्यवसाय करना इस अधिनियम की धारा 24 के तहत दंडनीय अपराध है। 18 अधिसूचित उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में से किसी भी देश में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए भी देश भर में 16 उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय से उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।

ब्लू कॉलर भारतीय श्रमिकों के लिए भर्ती की प्रक्रिया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन अर्थात ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है। वेब-आधारित एप्लिकेशन प्रवास की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, वैध, कानूनी, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तेज़ बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफ़ई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है और विदेश मंत्रालय को व्यापक एवं ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने में समर्थ बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या का समाधान करने में सहायता हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। नौकरी के फर्जी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के बारे में परामर्शी/अलर्ट पोर्टल पर डाले जाते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को विदेश मंत्री और श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से एक अपडेटिड, संशोधित और उपयोगकर्ता अनुकूल ई-माइग्रेट-V2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया गया।

खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के साथ श्रम एवं जनशक्ति सहयोग करार किए गए हैं, जो श्रम एवं जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग हेतु द्विपक्षीय रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन समझौता ज्ञापनों और करारों का कार्यान्वयन संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों को उठाया जाता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों को नियमित रूप से राजनयिक माध्यमों से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ भी उठाया जाता है।

इसके अलावा, ईसीआर श्रेणी की महिला कामगारों (घरेलू कामगारों सहित), जो अक्सर सबसे कमजोर श्रेणी में आती हैं, की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अतिरिक्त रक्षोपाय के रूप में, सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य ईसीआर श्रेणी के देशों में विदेशी रोजगार के लिए भारतीय महिला ईसीआर श्रेणी के कामगारों की भर्ती हेतु केवल राज्य संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को ही अधिकृत किया है। इसके अलावा, ईसीआर श्रेणी की महिला कामगारों को शोषण से बचाने के लिए विदेशी रोजगार हेतु उनकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है।

मिशन/केंद्र समय-समय पर विदेश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर वित्तीय एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ़) का उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ़ के तहत प्रदान की जाने वाली मुख्य सहायता में आवास एवं भोजन, भारत के लिए हवाई टिकट, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत में पार्थिव शरीर का परिवहन और छोटे जुर्माने एवं दंड का भुगतान शामिल है। खाड़ी देशों में आईसीडब्ल्यूएफ़ के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का विवरण **अनुबंध क** में दिया गया है।

अनुबंध क

2022 से **2024** तक आईसीडब्ल्यूएफ लाभार्थियों का शीर्षवार विवरण								
2022								
क्र. सं.	**देश**	**आवास एवं भोजन**	**आपातकालीन चिकित्सा देखभाल**	**फंसे हुए प्रवासी भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा**	**कानूनी सहायता (परित्यक्त भारतीय महिलाओं को दी गई सहायता को छोड़कर)**	**पार्थिव शरीर का परिवहन**	**प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को सहायता**	**छोटे जुर्माने एवं दंड**
1	बहरीन	17	1	41	4	11	0	1
2	इराक	33	2	14	0	2	0	7
3	जॉर्डन	1	1	0	0	1	0	0
4	कुवैत	4911	95	416	0	40	0	0
5	कतर	4843	2	49	114	9	0	2
6	ओमान	3947	224	359	0	12	0	83
7	सऊदी अरब	83	85	75	0	137	0	1
8	यूएई	943	19	748	6	160	0	1173
2023								
क्र. सं.	**देश**	**आवास एवं भोजन**	**आपातकालीन चिकित्सा**	**फंसे हुए प्रवासी**	**कानूनी सहायता (परित्यक्त भारतीय**	**पार्थिव शरीर का परिवहन**	**प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा**	**छोटे जुर्माने एवं दंड**

			देखभाल	भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा	महिलाओं को दी गई सहायता को छोड़कर)		परित्यक्त भारतीय महिलाओं को सहायता	
1	बहरीन	7	0	21	5	16	0	2
2	इराक	16	0	5	0	3	0	6
3	जॉर्डन	0	0	2	0	1	0	0
4	कुवैत	1485	1	44	1	28	0	0
5	कतर	5592	0	32	156	13	0	0
6	ओमान	5825	136	488	138	19	0	189
7	सऊदी अरब	293	74	93	2	87	0	4
8	यूएई	444	37	638	6	100	1	518
2024								
क्र. सं.	**देश**	**आवास एवं भोजन**	**आपातकालीन चिकित्सा देखभाल**	**फंसे हुए प्रवासी भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा**	**कानूनी सहायता (परित्यक्त भारतीय महिलाओं को दी गई सहायता को छोड़कर)**	**पार्थिव शरीर का परिवहन**	**प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को सहायता**	**छोटे जुर्माने एवं दंड**

1	बहरीन	9	0	41	5	8	0	0
2	इराक	3	0	3	0	2	0	2
3	जॉर्डन	0	0	1	0	1	0	3
4	कुवैत	0	0	19	4	33	8	0
5	कतर	548	3	55	72	21	0	0
6	ओमान	3922	21	61	36	9	0	107
7	सऊदी अरब	231	20	67	1	98	0	9
8	यूएई	213	32	233	0	103	3	76

*****